

फर्द अहकाम

सरजी

बनाम

विजयपाल व के-क

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली-बहरोड
केस संख्या 30/2023 मुन्सिपल सी ५३

क0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31-1-24	<p>पञ्चायती आज केरु इन्टी प्रद्वरण के अर्थात् संग के वकील के उपस्थित होकर अर्थात् के पूर्व में जारी किये गये इन्फिस्ट्रट नोटिस के तामिल वी ड्रेकिंग रिपोर्ट केरावर जादिर किया कि अर्थात् को नोटिस लिकित हो चुके हैं ड्रेकिंग रिपोर्ट में नोटिस डिफिक्ट हुए हैं। हमने पञ्चायती का मकलौकत किया। अर्थात् के द्वारा यह मुन्सिपल पञ्चायत जिला कलक्टर अलवर के न्यायालय में पेश किया गया था तथा अर्थात् जिला कलक्टर अलवर के नव जिला केसूतली- बहरोड का सजून होने से स्थानांतरित होकर अर्थात् होने पर अर्थात् के इस न्यायालय में इन्फिस्ट्रट डाय के नोटिस जारी किये एवं ड्रेकिंग रिपोर्ट में नोटिस डिफिक्ट होने से अर्थात् है। इस प्रकार अर्थात् के नोटिस लिकित हो चुके हैं लेकिन अर्थात् के उपस्थित होकर अर्थात् बोली करने हेतु खेम या उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं। अर्थात् अर्थात् अर्थात् अर्थात् के शक्तिज किया जाता है। निर्णय की अर्थात् अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित अधिवक्ता बहरोड के पालनार्थ अर्थात् है। पञ्चायती केसल हुआ होकर बाद अर्थात् कोषित रहता है।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड</p>	